* ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 3016 /14–1, दिनांकःअलीगढ़ःमई 08 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **एटा–अलीगंज मार्ग (एम0डी0आर0–98) किमी0 चैनेज 23.978 की बांयी पटरी पर स्थित ग्राम सोंसा के गाटा संख्या–680स में आई0ओ0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07291 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।**

संदर्भ– आपका पत्रांक 2181/एटा/19809/ दिनांक 25.04.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने अपने कार्यालय पत्रांक 2064/14–1, दिनांक 04.05.2017 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। अतः भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर अनुपालन आख्या निम्न प्रकार हैः–

S. no.	Observation	Reply
1	क्या प्रस्तावित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 11.07.2014 में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया गया है।	पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 11.07.2014 में उल्लिखित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 39 पर संलग्न है।
2	प्रस्ताव में रक्षित उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिसम्बर 2016 में ही समाप्त हो चुकी है।	क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र 03 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 3016 /14–1, समदिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को पत्रांक 2064/14–1, दिनांक 04.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।